न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S 7/2018

03.11.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी के दिनांक–15.03.2021 के संशोधन आवेदन एवं प्रतिवादी के दिनांक–17.08.2022 एवं 30.09.2022 के प्रतिउत्तर पर इनके विद्वान अधिवक्ता को इनके आवेदन पर सुना। वादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक–15.03.2021 को आदेश–6 नियम–17 के अन्तर्गत दाखिल संशोधन आवेदन को चालित करते हुए कथन करते है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा अपने स्वत्व अधिकार हेतु लाया गया है। आगे कथन करते है कि अभिलेख अवलोकन और प्रतिवादी बिहार सरकार के लिखित कथन के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया की कुछ आवश्यक तथ्य मूल वाद–पत्र में टंकण भूल के कारण छुट गया है, जब वादी के द्वारा वाद दायर किया गया था तब वाद से संबंधित कुछ कागजात इनके पास नहीं था। B.P.P.H.T. Act वाद मे तथाकथित भू–स्वामी जगदीश मोदी को निर्गत नोटिश का प्रमाणित प्रति अब वादी पास उपलब्ध हुआ। आगे कहते है कि उक्त जगदीश मोदी पे0–स्व0 लक्ष्मी मोदी वासगीत पर्चा वाली भूमि का भू–स्वामी नहीं है और न ही उसने कोई नोटिश प्राप्त किया है किसी अन्य ने जगदीश मोदी के नाम से नोटिश पर हस्ताक्षर किया है। वास्तव में भू–स्वामी के भाई का नाम जगदीश मोदी है। नोटिश पर किया गया हस्ताक्षर और जगदीश मोदी का हस्ताक्षर बहुत भिन्न है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर वादी स्वत्व वाद के पारा सं0–05 के बाद 5(a) that the Basgit Purcha has not been made as per process of Basgit Purcha law of the defendant no-03 no notice has been issue to the name of land lord of this Basgit Purcha land notice in the name of Jagdish Modi, Jagdish Modi is not the land owner of Basgit Purcha land and no received the notice his false singnature has on said notice. The singnature of Jagdish Modi on other document Jagdish Prasad Modi has put only Jagdish Modi also in different hand writing. प्रस्तावित कंडिका सं0–5(a) के बाद कंडिका 5(b) that the defendant no-03 is not landless person and also not category of privillage persons. Defendant no-03 has more than 1(one) Acre of other land also more than 4(four) acres defendant no-03 is bound to privillage person U/S-2(b)(1)(b) of B.P.P.H.T. Act defendant No.03 is Chouhdidar in northern and eastern side of his Basgit Purcha land by his purchased land but he did not disclose in his written statement and also did no disclose 0.10 1/4 Decimal he was purchased including from 14 decimal in said Basgit Purcha Plot. जोड़ना है आगे कथन करते है कि उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही हो रहा है। अंत में निवेदन करते है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–1 और 1A बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन के आलोक में दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–30.09.2022 के माध्यम से कथन करते है कि वादी का उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है। वादी के उक्त आवेदन का कंडिका–1 का कथन सही है। आगे कथन करते है कि प्रतिवादी सं0–1 द्वारा दाखिल लिखित कथन में B.P.P.H.T अधिनियम के अनुसार सभी तथ्य उल्लेखित है। जिसके आधार पर उक्त आवेदन का कंडिका सं0–2 का कथन गलत है। उक्त आवेदन का कंडिका सं0–3 का कथन सत्य है कि नोटिश जगदीश प्रसाद मोदी के नाम पर जारी हुआ था।

लगातार...

T.S 07/2018

आगे कथन करते है कि जगदीश प्रसाद मोदी के पास शेष हिस्सा भी भूमि 1 3/4 डिसमील था जो उसने विक्रय विलेख द्वारा दिनांक– 11.05.2005 को प्रतिवादी सं0–3 महेन्द्र साह को बेच दिया। नोटिश और विक्रय विलेख पर किया गया हस्ताक्षर भिन्न है। उक्त आवेदन का कंडिका–6 का कथन सही है। अंत में निवेदन करते है कि वादी का दिनांक–15.03.2021 का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

वही प्रतिवादी सं0–2 और 3 उक्त आवेदन के आलोक में साखिल अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से कथन करते है कि वादी का संशोधन आवेदन दिनांक–15.03.2021 विधि की दृष्टि से संधारणीय नही हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक–15.03.2021 के पारा सं0–03 मे कही गई बाते बिल्कुल असत्य है, वास्तविक तथ्य यह है कि वादी द्वारा वर्तमान स्वत्व वाद से पूर्व विवादित भूमि को लेकर रेवेन्यू रिविजन वाद **सं0–134/2008**, B.L.T Case No. 30/2016 एवं CWJC No. 18369/2011 दायर किया जा चुका है एवं उनके द्वारा वाद भूमि से संबंधित सभी तथ्य दिए जा चुके है। वाद भूमि के वास्तविक केवालाधारी लक्ष्मी मोदी थे, जिनकी मृत्यु वर्ष–2004 में हुई। केवालाधारी लक्ष्मी मोदी को तीन पुत्र क्रमशः–जगदीश मोदी, अनंत मोदी एवं उपेन्द्र मोदी थे। प्रतिवादी के नाम से विवादित खाता खेसरा में 0.04 डी0 का वासगीत पर्चा वर्ष–2008 में वासगीत पर्चा केश सं0–24/2007–2008 के माध्यम से निर्गत हुआ है। आगे कथन करते है कि वादी द्वारा अपने आवेदन के कंडिका 04 में कही गई बाते बिल्कुल ही झुठा एवं तथ्यहीन है। वादी द्वारा यह कहना है कि जगदीश मोदी वाद ग्रस्त भूमि के वास्तविक मालिक नही थे, पूरी तरह से गलत है। वास्तव मे बासगीत पर्चा मे वाद ग्रस्त भूमि का स्वामी जगदीश मोदी एवं अन्य को दर्शाया गया है। केवालाधारी की मृत्यु के पूर्व में 2004 मे ही हो जाने के कारण अंचल अधिकारी अधिकारी बनमनखी द्वारा उनके पुत्रों के नाम नोटिश निर्गत किया गया तथा प्रतिवादी सं0–03 का वाद भूमि घर आवास एवं दखल देखते हुए उनके नाम 0.04 डी0 भूमि का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है। अंत में प्रार्थना करते है वादी का आवेदन दिनांक–15.03.2021 का संशोधन आवेदन निरस्त करने की कृपा की जाय।

सभी पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभिलेख अभी धारा 89 के लिए लंबित है। वाद का विचारण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है इसी दौरान वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त संशोधन पक्षकारो के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए वादी की ओर दिनांक–15.03.2021 का संशोधन आवेदन न्यायहित में स्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है वादी को आदेश दिया जाता है कि चौदह दिन के भीतर आवेदनानुसार अपने वाद पत्र में संशोधन करे।

वाद दिनांक–17.11.2022 को आदेशानुसार संशोधन एवं धारा 89 सी0 पी0 सी0 हेतु।

मुंसिफ
बनमनखी।